न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान जसकरण सिंह बनाम सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट 213 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
20.10.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुने बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता के संबंध में केवल मात्र पटवार हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए पारित किया गया जबकि पटवार हल्का द्वारा भौतिक सत्यापन के बिना ही रिपोर्ट पेश की है, जिसका बिना अवलोकन किए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने के संबंध में क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है। वर्णित रास्ता की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान 7 दिवस पूर्व पटवार हल्का द्वारा अपीलांट को अवगत करवाया कि प्रश्नगत रास्ता को खोला जावेगा जिसके कारण अपीलांट ने पूछा तो बताया गया कि अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में कार्यवाही की जानी है जस पर अवलिंब अपीलाण्ट ने अपील पेश कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसील टिब्बी से किया गया एक पत्र व्यवहार है जो एक प्रशासनिक आदेश है जिसकी अपील पेश नही की जा सकती है। उक्त पत्र भी 09.11.2016 को जारी किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने इतने विलम्ब से यह अपील पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का	

20/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अवलोकन किया।

अपीलाण्ट ने यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा तहसीलदार राजस्व टिब्बी को लिखे गये पत्र क्रमांक 1754 दिनांक 07.11.2016 के विरूद्ध पेश की है। प्रश्नत आदेश दिनांक 07.11.2016 का है जबकि अपीलाण्ट ने यह अपील 24.11.2019 को प्रस्तुत की है। इतने विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है। इस पत्र में किसी रकबा विशेष का विवरण भी अंकित नही है। यह पत्र सामान्य प्रशासनिक पत्र व्यवहार की, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

20/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner